आवश्यक

E-OFFICE 724530
DATE........

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमाक एफ 27(67)/ग्राविवि–5/सीएमबीपीएल/2012–13 जयपुर, दिनांक 26मार्च, 2015

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– आवासीय योजनाओं की उपलब्धियां वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकन।
प्रसंगः– विभागीय परिपत्र क्रं. एफ (28) एसीआर/ चैनल/ 2006/120 दिनांक 16.8.11

महोदय/महोदया,

ग्रामीण आवास योजनाऐं, सरकार की फ्लेगशिप योजनाऐं है, जिसके अन्तर्गत आवासहीन बीपीएल परिवारों को पक्का आवास निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में योजनान्तर्गत वर्ष 11–12 एवं वर्ष 12–13 में स्वीकृत आवासों को दिनांक 31.03.15 एवं वर्ष 2013–14 के स्वीकृत आवासों का 30.06.2015 तक पूर्ण किया जाना है। इस क्रम में आपको जिले में गत वर्षो में स्वीकृत अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने बाबत प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि के अ.शा. पत्र दिनांक 03, मार्च, 2015 द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही बाबत आग्रह किया गया है।

ग्रामीण आवास योजनाओ का क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस क्रम में आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में आवास योजनाओं की उपलब्धियों का अंकन किये जाने हेतु प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 16.8.11 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आवासीय योजनाओं की प्राथमिकता पर समीक्षा कर प्रासंगिक परिपत्र अनुसार योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में आवास योजनाओं की उपलब्धियों का अंकन कराना सुनिश्चित करें।
सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

Programme 30/3

26/3/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरा, राजस्थान–जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग।
4. आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान–जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्राविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

AEN PC/ D:\Letter\Aen\Aen.DOCX 156